(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना संख्या 19/2023-केन्द्रीय कर (दर)**

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या **4/2017-**केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-:

" केंद्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर], राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण ।"

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)- सीबीईसी]

विक्रम वानेरे

अवर सचिव

**नोट :** मूल अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उप खंड (i)में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 922 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।